न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 349/2025

अपीलाण्ट :–

चीकुराम पुत्र बन्नाराम जाति सांसी उम्र 34 वर्ष निवासी 16,सांसी बस्ती, नया गांव, पाली तहसील व जिला पाली राजस्थान जरिये आममुख्त्यारमृत लाला पुत्र देवजी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गाँव पाली के वैध वारिसान–

1. मृत धूला पुत्र लाला जाति सांसी के वैध वारिसान–
   - 1/1 कान्तिलाल पुत्र धुलाजी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती, नया गॉव पाली राजस्थान
   - 1/2 मृत गोपाल पहुत्र धुलाजी के कायम मुकाम–
     - 1/1/1 श्रीमती विमला पत्नी गोपाल जी
     - 1/1/2 मुकेश पुत्र गोपालजी
     - 1/1/3 ज्योती पुत्री गोपालजी पत्नी अजय जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गॉव पाली राजस्थान
   - 1/3 पप्पू पुत्र धुलाजी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गॉव पाली राजस्थान
   - 1/4 मृत रमेश पुत्र धुलाजी क कायम मुकाम–
     - 1/4/1 मंगलाराम पुत्र रमेश जी
     - 1/4/2 सुनिता पुत्र रमेश पत्नी विष्णू
     - 1/4/3 माया पुत्री रमेश पत्नी लखन
     - 1/4/4 सरोज पुत्री रमेश जी नाबालिग जरिये संरक्षक भाई मंगलाराम (1/4/1) जाति सांसी

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली राजस्थान।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निवासी सांसी बस्ती नया गॉव पाली

1/4/5 कश्मीरी पुत्री रमेश जी पत्नी सोनाराम जाति सांसी निवासी भगवानगंज सांसी बस्ती अजमेर।

1/4/6 कविता पुत्री रमेश पत्नी विकम जाति सांसी निवासी भगवानगंज सांसी बस्ती अजमेर।

1/5 मृत दिलिप पुत्र धुलाजी के कायम मुकाम–

1/5/1 श्रीमती बाबूडी बेवा दिलिप

1/5/2 कालू पुत्र दिलिप जी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बाबूडी

1/5/3पिण्टू पुत्र दिलिप नाबालिग जरिये कुदरती वाली माता बाबूडी।

1/5/4तुलसी पुत्री दिलिप नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बाबूडी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नयागॉव पाली राजस्थान।

1/6 मृत शांति पुत्री धुलाजी पत्नी राजकुमार के वैध वारिसान–

1/6/1चांदनी पुत्री शान्ति पत्नी अशोंक

1/7 मृत बिजली पुत्री शान्ति पत्नी मोहन जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नयागॉव पाली राजस्थान।

1/7/1 राजेश पुत्र मोहन लाल जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गॉव पाली राजस्थान।

1/7/2 मनोज पुत्र मोहन लाल जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गॉव पाली राजस्थान।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

1/7/3 तीजा पत्नी सनी जाति सांसी
निवासी सांसी बस्ती नयागॉव
पाली राजस्थान ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्धआदेश सहायक सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2012 अनवान वादीगण मृत लाला वगैरा बनाम प्रतिवादीगण राजस्थान राज्यनिर्णय दिनांक 23.05.2017 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री मनीष बोहरा, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 की ओर से।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 29–07–2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पाली चक 2 के खसरा नम्बर 548 की खातेदारी के खाता संख्या 392 के अनुसार मिसिया वल्द गोपा, शिवकरण वल्द किशनलाल, ... वल्द देवा कौम सांसी दर्ज है। उक्त खाली जगह पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.05.2012 को पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिनांक 23.05.2017 पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.05.2012 खारिज किया गया। उप खण्ड अधिकारी, पाली के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2024 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन किया कि प्रार्थीगण अनपढ़ व कम ज्ञानी होने के कारण उन्होंने उक्त निर्णय को लेकर अपने पास रख लिया तथा उन्हे यह ज्ञान नही था कि उक्त निर्णय की अपील अपीलीय न्यायालय में की जानी है। इस कारण से जब तक उन्हें अपीलीय न्यायालय में अपील करने की सलाह प्राप्त हुई तब तक अपील की समयावधि निकल चूकी थी। उसके बाद प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस कारण से अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा निकल गयी तथा अपील देरीना प्रस्तुत की जा रही है। प्रक्रिया कानून न्याय दिलाने में साधक है,

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाधक नहीं। किसी भी पक्षकार को तकनीकी या देरी के आधार पर न्याय से वंचित नही किया जा सकता। न्याय की मंशा पक्षकारान् के मध्य विवादित बिन्दुओं का गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर देकर अंतिम निस्तारण करने की है। अतः प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसे न्यायहित में माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुना जाकर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपील को इसी स्तर पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने पर विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि पाली में चक नम्बर 2 खसरा संख्या 548 रकबा 99 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, पूर्व में उक्त भूमि के 10 व्यक्ति खातेदार थे, उसमें से 1 लाला पुत्र देवजी भी खातदार थे। लालाजी प्रार्थीगण के पिता/दादाजी थे एवं देवजी प्रार्थीगण के दादाजी/परदादाजी थे। दोनों का ही देहान्त हों चुका है। उपरोक्त खसरा नम्बर में भूमि एकीकरण के पूर्व से निम्न व्यक्ति खातेदार थे– (1) मिसिया पुत्र गोपा (2) शिवकरण पुत्र किशनलाल (3) ..... पुत्र देवा जाति सांसी (4) रतना पुत्र पोकर भाट (5) गिरधारी पुत्र लिखमा बावरी (6) भोपाल पुत्र उम्मेदा राईका (7) जीता पुत्र लाला (8) खिवंडा पुत्र गोपी (9) जोगला वल्द गोपिया (10) भंवरिया पुत्र जोरा जातिगण सांसी। उपरोक्त संदर्भ में पर्चा खतौनी एवं भूमि एकीकरण खतौनी सम्वत 2019 की प्रमाणित प्रतिलीपी अपील के साथ पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दस्तावेजात में अपीलांट के पिता/दादा का नाम खाली छोडा हुआ है और वल्दियत के रूप में देवजी और जाति सांसी दर्ज है, यह स्थिति राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक यथावत चल रही है। लालाजी पुत्र देवजी का देहान्त दिनांक 26.08.75 को हो चुका है। धुलाजी का देहान्त दिनाांक 20.10.1991 को हो चुका है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय राजस्व एवं भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रार्थी के पूर्वज लालाजी का नाम दर्ज नहीं कर खाली छोड दिया और वल्दियत के रूप में देवजी एवं जाति सांसी सही दर्ज कर दी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में 1/1 हिस्से के खातेदार लालाजी पुत्र देवाजी थे। उनकी मृत्यू उपरान्त प्रार्थीगण उनके वारिसान के रूप में खातेदार हुए है। आज भी प्रार्थीगण अपने 10 वे हिस्से की खातेदारी पर बहैसियत खातेदार काबिज है एवं काश्त कर रहें है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरानयह भी कथन किया कि लालाजी पुत्र देवाजी की उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य खातेदारी भूमि पाली चक नम्बर 2 में ही खसरा संख्या 648 व 648/1 थी, उसमें लालाजी की मृत्यू के उपरान्त प्रार्थीगण का नाम

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बतौर वारिसान म्यूटेशन संख्या 2575 दिनांक 29.11.2011 द्वारा दर्ज किया गया है। लालाजी के वारिसान के रूप में बरसात पुत्री धुलाजी एवं शिमला पुत्री धुलाजी भी थे, लेकिन उनका अविवाहित रूप में ही देहान्त हो चुका है इस कारण से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, और उनका हिस्सा स्वतः ही प्रार्थीगण में वेस्ट हो चुका है। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित खसरा संख्या 548 के गत खसरा नम्बर 1643 थे। इसप्रकार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उपरोक्त इन्द्राज गलत चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना लाजमी है और दुरूस्त किये जाने से किसी भी पक्ष एवं व्यक्ति को प्रिज्यूडिस नहीं हो रही है एवं उक्त अधूरे इन्द्राज से प्रार्थीगण को अपने हक हकूक अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। क्योंकि उक्त इन्द्राज से प्रार्थीगण का नाम बतौर वारिसान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो रहा है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आये दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा नम्बर 648 जिसमें अपीलांट के पिताजी/दादाजी का नाम लाला वल्द देवा सांसी स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद भी उस दस्तावेज को स्वीकार करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है इसलिए विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने पिताजी/दादाजी का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के पिताजी/दादाजी का नाम लाला वल्द देवाजी स्पष्ट रूप से अंकित है, बावजूद इसके इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की गलती के कारण ही अपीलान्ट के पिताजी/दादाजी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू को दरकिनार कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर भयंकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2012मृत लालाजी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.03.2017को अपास्त फरमाया जावें एंव राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 548में चले आ रहे अधूरे इन्द्राज .....वल्द देवा के स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली का आदेश दिनांक 23.05.2017 विधि अनुसार एंव प्राकृतिक न्याय के अनुसार ही है।वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 548 रकबा 16.0903 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल में 1.....पुत्र देवा हिस्सा 1/10 जाति सांसी सा. देह खातेदार। 2. अजय पुत्र किशोर कुमार हिस्सा 1/700 जाति सांसी सा. देह खातेदार वगैरह कुल 47 खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है। भूमि एकीकरण विभाग खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत 2019 में क्रं.सं. 425 के खसरा नम्बर 548 रकबा 99.00 बीघा किस्म बा.अ.लगान 49. 70 में मीसया वल्द गोपा, शिवकरण वल्द किशनलाल, ...वल्द देवा कौम सांसी

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

रतना वल्द पोखर कौम भाट गीदधारी वल्द लिखगा कौम बावरी व भोपाल वल्द उम्मेद कौम रायका जीता चल्द लाला, खीवडा वल्द गोपी, जोगला वल्द गोपिया व भवरिया वल्द जोरा कौम सांसी सा. देह खातेदार दर्ज है।

8. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह अभिकथन किया किउपरोक्त दोनो ही दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी एंव भूमि एकीकरण विभाग खतौनी जमाबन्दी संवत 2019 में खातेदार का (खाली) छोडा हुआ है तथा पुत्र या वल्द ने देवा नाम लिखा हुआ है जिसकी जाती सांसी दर्ज है। धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत किसी जमाबन्दी खतोनी में हुई गलती/त्रुटी को ही सुधारा जा सकता है धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज कर सही एंव विधि अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान कराये।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रिबटल में कथन किया कि प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान कराये।

10. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि पाली चक 2 के खसरा नम्बर 548 की खातेदारी के खाता संख्या 392 के अनुसार मिसिया वल्द गोपा, शिवकरण वल्द किशनलाल, ... वल्द देवा कौम सांसी दर्ज है। उक्त खाली जगह पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिनांक 23.05.2017 पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। उप खण्ड अधिकारी, पाली के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान मुख्य कथन यह प्रस्तुत किये गये कि पाली चक नम्बर 2 खसरा संख्या 548 रकबा 99 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, जिसके पूर्व में 10 व्यक्ति खातेदार थे, उसमें से 1 लाला पुत्र देवजी भी खातदार थे। लालाजी प्रार्थीगण के पिता/दादाजी थे एवं देवजी प्रार्थीगण के दादाजी/परदादाजी थे। दोनों का ही देहान्त हो चुका है। उपरोक्त खसरा नम्बर में भूमि एकीकरण के पूर्व से निम्न व्यक्ति खातेदार थे– (1) मिसिया पुत्र गोपा (2) शिवकरण पुत्र किशनलाल (3) ..... पुत्र देवा जाति सांसी (4) रतना पुत्र पोकर भाट (5) गिरधारी पुत्र लिखमा बावरी (6)

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भोपाल पुत्र उम्मेदा राईका (7) जीता पुत्र लाला (8) खिवंडा पुत्र गोपी (9) जोगला वल्द गोपिया (10) भंवरिया पुत्र जोरा जाति सांसी दर्ज है। अपीलांट के पिता/दादा का नाम खाली छोडा हुआ है और वल्दियत के रूप में देवजी और जाति सांसी दर्ज है, जो स्थिति राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक यथावत चल रही है। लालाजी पुत्र देवजी का देहान्त दिनांक 26.08.75 को हो चुका है। धुलाजी का देहान्त दिनांक 20.10.1991 को हो चुका है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय राजस्व एवं भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रार्थी के पूर्वज लालाजी का नाम दर्ज नहीं कर खाली छोड दिया और वल्दियत के रूप में देवजी एवं जाति सांसी सही दर्ज कर दी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में 1/1 हिस्से के खातेदार लालाजी पुत्र देवाजी थे। उनकी मृत्यू उपरान्त खातेदार प्रार्थीगण हुए है आज भी प्रार्थीगण अपने 10 वे हिस्से की खातेदारी पर बहैसियत खातेदार काबिज है एवं काश्त कर रहें है।

12. इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट्स के राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह मुख्य कथन प्रस्तुत किये कि वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 548 रकबा 16.0903 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल में 1 .....पुत्र देवा हिस्सा 1/10 जाति सांसी सा. देह खातेदार। 2. अजय पुत्र किशोर कुमार हिस्सा 1/700 जाति सांसी सा. देह खातेदार वगैरह कुल 47 खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है। भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत 2019 में क्र.सं. 425 के खसरा नम्बर 548 रकबा 99.00 बीघा किस्म बा.अ.लगान 49.70 में मीसया वल्द गोपा, शिवकरण वल्द किशनलाल, ... वल्द देवा कौम सांसी रतना वल्द पोखर कौम भाट गिरधारी वल्द लिखगा कौम बावरी व भोपाल वल्द उम्मेद कौम रायका जीता वल्द लाला, खीवडा वल्द गोपी, जोगला वल्द गोपिया व भवरिया वल्द जोरा कौम सांसी सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त दोनो ही दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी एंव भूमि एकीकरण विभाग खतौनी में जमाबन्दी संवत 2019 में खातेदार का नाम (खाली) छोडा हुआ है तथा पुत्र या वल्द में देवा नाम लिखा हुआ है जिसकी जाति सांसी दर्ज है।

13. अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि लालाजी पुत्र देवाजी का नाम पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा था तथा बाद में लिपिकीय त्रुटि वश मात्र वल्दियत लिखकर छोड़ दी गई हो। प्रार्थीगण द्वारा अपील के जरिये विवाद ग्रस्त भूमि में ..... वल्द देवा कौम सांसी के हिस्से की भूमि को अपीलाण्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। खातेदारी की घोषणा नियमित वाद दायरी द्वारा ही की जा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो से देवा के पुत्र का नाम लालाजी होना धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत घोषित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली के आदेश दिनांक 23.05.2017 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा प्रावधित प्रावधानो के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली का आदेश दिनांक 23.05.2017 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई त्रुटि नही पाते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली के आदेश दिनांक 23.05.2017को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर